भारतीय पशु–चिकित्सा अनुसंधान संस्थान
इज्जतनगर – 243 122 (उ.प्र.) भारत
INDIAN VETERINARY RESEARCH INSTITUTE
Izatnagar - 243 122 (U.P.) INDIA

पत्रांक सं. 35–2/2003–ई–1 (वॉ–3) दिनांक : ~~30.04.2017~~ 2/5/17

पृष्ठांकन

कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड से प्राप्त पत्र सं./क्र.वै.च.मं./9(3)/2017 – मूल्यांकन प्रकोष्ठ दिनांक 21.4.17 की प्रति जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित की जाती है।

1. समस्त संयुक्त निदेशक/विभागाध्यक्ष/प्रभारी भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर/बैंगलोर/मुक्तेश्वर/कोलकाता/पालमपुर। इस आशय के साथ कि वे इस पत्र के contents अपने अधीनस्थ कार्यरत वैज्ञानिकों के संज्ञान में लाएं तथा सम्बन्धित वैज्ञानिकों के मूल्यांकन प्रपत्र 3 प्रतियों में इस अनुभाग को दिनांक 31.5.2017 तक भेजना सुरक्षित करें।

2. सभी वैज्ञानिकों से अनुरोध है कि वह प्रत्येक पृष्ठ पर (क्रम सं. 1 से क्रम सं. 11बी) पर अपने हस्ताक्षर करें तथा उनके विभागाध्यक्ष/प्रभारी के भी उक्त पृष्ठ पर हस्ताक्षर होना आवश्यक हैं।

3. प्रधान वैज्ञानिक, संयुक्त निदेशक शोध, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान को जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

4. प्रभारी, एरिस सेल, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि कृप्या इस पृष्ठांकन को कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल से प्राप्त पत्रांक सं. क्र.वै.च.मं./9(3)/2017 – मूल्यांकन प्रकोष्ठ दिनांक 21.4.17 को संस्थान की वेबसाइड पर अपलोड करने की व्यवस्था करें।

2/5/17
सहायक प्रशासनिक अधिकारी

कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल
(भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद)
कृषि अनुसंधान भवन–1, पूसा, नई दिल्ली–110012

फा.स / कृ.वै.च.मं./ 9(3)/2017–मूल्यांकन प्रकोष्ठ

दिनांकः 21 APR 2017

सेवा में

भा.कृ.अनु.प. के समस्त निदेशकों /परियोजना निदेशालयों/राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्रों/ब्यूरों के निदेशक/परियोजना निदेशक तथा ए.टी.ए.आर.आई. के निदेशकगण एवं परियोजना समन्वयक।

विषय : दिनांक 01/01/2009 से प्रभावी संशोधित कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के अंतर्गत कृषि अनुसंधान सेवा के वैज्ञानिकों की पदोन्नति/अपवर्ड मूवमेंट हेतु कार्य निष्पादन को संशोधित मूल्यांकन/स्कोर कार्ड।

संदर्भः (I) भा.कृ.अनु.प. पत्र संख्या 1(1)/2009–कार्मिक–IV दिनांक 6 मार्च, 2009
(II) भा.कृ.अनु.प. पत्रों की संख्या 9(1)/2010–कार्मिक–IV दिनांक 4 नवम्बर, 2011; 12 दिसम्बर, 2011 तथा पत्र सं. 9(1)/2012–कार्मिक–IV दिनांक 25 अप्रैल, 2012
(III) कृ.वै.च.मं. पत्र संख्या 5(3)/2012–मूल्यांकन कक्ष, दिनांक 29 जुलाई, 2013

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का आदेश हुआ है कि संशोधित कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के अंतर्गत वरिष्ठ वैज्ञानिक ग्रेड (आरजीपी 9000) से प्रधान वैज्ञानिक ग्रेड (आरजीपी 10,000) पर पदोन्नति के लिए कृ.वै.च.मं. उन वैज्ञानिकों के, जिन्होंने **31 मार्च, 2017** तक तीन वर्षों का आवश्यक सेवाकाल पूर्ण कर लिया है, मूल्यांकनों पर विचार करेगा। उक्त प्रकार के वैज्ञानिकों (वरिष्ठ वैज्ञानिक द्वारा स्वयं भरे गए तथा संस्थान के निदेशक द्वारा सत्यापित/जांच की गई प्रतियां) के संदर्भ में मूल्यांकन प्रपत्र की तीन प्रतियां मंडल को दिनांक **30 जून, 2017** तक हर हालत में भेज दी जाए।

2. संशोधित कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत संबंधित मूल्यांकन अवधि के प्रस्तावों पर पूर्व जिन वरिष्ठ वैज्ञानिकों के मामलों पर विचार किए गए, परन्तु देय तिथि (due date) से प्रधान वैज्ञानिक ग्रेड पर पदोन्नति हेतु संस्तुतियां नहीं की गई, उनके संदर्भ में देय पदोन्नति तिथि से 2 वर्ष बाद संशोधित कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के अंतर्गत पुनर्मूल्यांकन (next evaluation) किया जाएगा।

(**उदाहरणार्थः** यदि किसी वरिष्ठ वैज्ञानिक का प्रधान वैज्ञानिक ग्रेड पर देय पदोन्नति तिथि 01/01/2015 से पदोन्नति हेतु संबंधित मूल्यांकन अवधि 01/01/2012 से 31/12/2014 के लिए मूल्यांकन किया गया परन्तु पदोन्नति हेतु संस्तुतियां नहीं दी गई, उन वैज्ञानिकों की पुनर्मूल्यांकन अवधि वर्ष 01/01/2014 से 31/12/2016 होगी और उनकी पदोन्नति की संशोधित देय तिथि 01/01/2017 होगी)। उक्त प्रकार के वरिष्ठ वैज्ञानिकों के संदर्भ में भी पुनर्मूल्यांकन हेतु मूल्यांकन प्रपत्र 3 प्रतियों में कृ.वै.च.मं. को **30 जून, 2017** तक प्रेषित कर दी जाए।

3. वरिष्ठ वैज्ञानिकों के मूल्यांकन प्रपत्र को उपर्युक्त पैरा 1 में उल्लिखित प्रमाण पत्र के साथ अग्रेषित करते समय निदेशकगण मूल्यांकन प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर (क्रम सं. 1 से क्रम सं. 11बी) विषयवस्तु को प्रमाणित करें जिससे सम्बन्धित वैज्ञानिक की विषयवस्तु की सत्यता तथा वास्तविक योगदान, दस्तावेजों की डुप्लिकेसी के बिना स्पष्ट हो। कृपया आवेदक के मूल्यांकन प्रस्ताव के कॉलम सं. 9 के सम्बन्ध में यह भी प्रमाणित/पृष्ठांकित करें कि उम्मीदवार को आरजीपी 9000 में कैरियर एडवांसमेंट स्कीम मूल्यांकन समिति के माध्यम से रखा गया या कृ.वै.च.मं. के पार्श्व पद्धति के माध्यम से।

4. कृ.वै.च.मं. के वेबसाइट पर (www.asrb.org.in) अपलोड किया गया प्रपत्र या वेबसाइट पर उपलब्ध प्रपत्र का ही उपयोग किया जाना चाहिए/कृ.वै.च.मं. को भेजा जाना चाहिए।

5. जहां तक संभव हो उम्मीदवार/वरिष्ठ वैज्ञानिक द्वारा सूचनाओं को संबंधित प्रपत्र में दिए गए स्थान पर ही उल्लेख किया जाना चाहिए, न कि अनुलग्नकों पर निर्भर रहें। **कृपया सुनिश्चित करें कि मूल्यांकन प्रस्ताव कृ.वै.च.मं. में दिनांक 30 जून, 2017 या इससे पूर्व प्राप्त हो जाए।**

6. यह अध्यक्ष, कृ.वै.च.मं. के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

भवदीय

राजीव मंगोत्रा
उपसचिव (भर्ती)

संयुक्त निदेशक (प्रशा०) कार्यालय
डायरी सं. 160

डायरी सं. 893
दिनांक 1/5/17